न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/5 (प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 07.01.2025**

उनवान

1. अनिता बाई पत्नी जसराज सिंह, जाति मीणा
2. गंगाबाई पत्नी स्वर्गीय कजोडी लाल, जाति मीणा
3. गजराज सिंह पुत्र कजोडी लाल, जाति मीणा
   निवासीगण सालीमार होटल के सामने, अकलेरा तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
4. रीतिका पुत्री जसराज उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये वलिया व संरक्षक माता अनिता बाई पत्नी जसराज सिंह, जाति मीणा, निवासी सालीमार होटल के सामने, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
5. लक्ष्मी पुत्री जसराज उम्र 8 वर्ष नाबालिग जरिये वलिया व संरक्षक माता अनिता बाई पत्नी जसराज सिंह, जाति मीणा निवासी सालीमार होटल के सामने, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. रंगलाल पुत्र देवीलाल, उम्र 58 वर्ष, जाति मीणा, निवासी थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
2. मोतीलाल पुत्र देवीलाल, जाति मीणा, निवासी थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
3. रामबिलास पुत्र देवीलाल, जाति मीणा, निवासी थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा बैंक, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड राज०
5. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा अकलेरा जिला झालावाड राज०
6. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड राज०
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2025 /6 (फाइनल डिक्री) **दायरा दिनांक : 07.01.2025**

उनवान

1. अनिता बाई पत्नी जसराज सिंह, जाति मीणा
2. गंगाबाई पत्नी स्वर्गीय कजोडी लाल, जाति मीणा
3. गजराज सिंह पुत्र कजोडी लाल, जाति मीणा
   निवासीगण सालीमार होटल के सामने, अकलेरा तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
4. रीतिका पुत्री जसराज उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये वलिया व संरक्षक माता अनिता बाई पत्नी जसराज सिंह, जाति मीणा, निवासी सालीमार होटल के सामने, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

5. लक्ष्मी पुत्री जसराज उम्र 8 वर्ष नाबालिग जरिये वलिया व संरक्षक माता अनिता बाई पत्नी जसराज सिंह, जाति मीणा निवासी सालीमार होटल के सामने, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. रंगलाल पुत्र देवीलाल, उम्र 58 वर्ष, जाति मीणा, निवासी थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
2. मोतीलाल पुत्र देवीलाल, जाति मीणा, निवासी थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
3. रामबिलास पुत्र देवीलाल, जाति मीणा, निवासी थनावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा बैंक, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड राज०
5. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा अकलेरा जिला झालावाड राज०
6. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अकलेरा, जिला झालावाड राज०
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज०

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 03.06.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 06/दावा/2022 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2024 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रंगलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा के माल मे नई खतौनी संख्या 52 की खसरा नम्बरान क्रमशः 165 रकबा 0.3318 हेक्टर, 237 रकबा 1.5459 हेक्टर, 240 रकबा 0.3237 हेक्टर, 287 रकबा 0.2428 हेक्टर, 288 रकबा 0.0162 हेक्टर, 291 रकबा 0.0405 हेक्टर, 295 रकबा 0.3561 हेक्टर, 352 रकबा 0.0728 हेक्टर, 353 रकबा 1.5864 हेक्टर, 82 रकबा 1.3840 हेक्टर, 88 रकबा 0.5585 हेक्टर कुल किता 11 रकबा 6.4587 हेक्टर आराजी वादी व प्रतिवादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 1 लगायत 7 के शामलाती खाते की स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2024 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.07.2024 से वादी का वाद डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2025/5 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का एक तरफा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलांट्स के विरूद्ध एक तरफा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है। ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या–52 के 11 किता की 6.4587 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी किये गये किसी भी सम्मन की अपीलांट्स पर कानूनन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो सम्माननीय व्यक्तियों की मौजूदगी में इत्तला नहीं करवायी गयी है और न ही उक्त सम्मन पर अपीलांटगण को सम्मन जारी किये गये हैं, न ही उसका समय अंकित है। अपीलांटगण के सम्मन पर गलत तौर पर नाबालिग लक्ष्मी के हस्ताक्षर जानबूझकर करवाये गये हैं जिनका कानून की निगाह में कोई महत्व नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इत्तला को मानकर अपीलांट्स के विरूद्ध दिनांक 08.04.2024 को एक तरफा कार्यवाही करके तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट क्रम–1 (वादी) के बयान लेकर एक तरफा में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया है, जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) फरमाई जावे।

अपील संख्या 2025/6 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार को पेपर पार्टीशन करते समय समस्त पक्षकारों को नोटिस देकर तलब करना चाहिए था एवं पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार को पेपर पार्टीशन रिपोर्ट तैयार करना चाहिए था, जो कि उक्त प्रकरण में तैयार नहीं की गयी है और ना ही उनसे आपत्तियां मांगी गयी है, बल्कि उक्त प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा दिनांक 11.07.2024 को मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अवैधानिक तौर पर तैयार किया गया है तथा उस पर तहसीलदार ने अपने कार्यालय में हस्ताक्षर कर दिये है, ऐसी स्थिति में उक्त पेपर पार्टीशन रिपोर्ट के आधार पर पारित की गयी फाईनल डिक्री व निर्णय गैर कानूनी है, जो कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है तथा सम्पूर्ण खसरा नं. 88 रेस्पोडेंट नं. 1 को दिया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तहसीलदार साहब को पेपर पार्टीशन करते वक्त राजस्व मण्डल द्वारा पारित किये गये नियम 18 से 21 की विधिवत रूप से पालना करते हुए पक्षकारों की मौजूदगी में मौके पर जाकर विभाजन करना चाहिए जो कि उक्त प्रकरण में

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उनके द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में फाईनल डिक्री एवं आदेश कानूनन हर तरीके से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा फाईनल डिक्री व निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.11.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है। हमें सम्मन की विधिवत तामील नहीं हुई है। फाइनल डिक्री पारित करते समय तहसीलदार ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। अतः प्रकरण स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2019 पेज 206 व आर.आर.डी. 2019 पेज 577, आर.एल.डब्ल्यू. 1976 पेज 1 व आर.आर.डी. 2010 पेज 647 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में रंगलाल का 1/4 हिस्सा है। हमने अधीनस्थ न्यायालय में 1/4 हिस्सा पृथक करने हेतु दावा किया था अधीनस्थ न्यायालय ने हमे 1/4 हिस्सा दे दिया। सम्मन पर लक्ष्मी बाई की तामील हुई है प्रकरण में लक्ष्मी अपीलांट कम 5 है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की है। अपील मियाद बाहर है अतः मियाद के बिन्दु पर प्रकरण खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित की है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2009 (1) आर.आर.टी. पेज 49 व 2010 (1) आर.आर.टी. पेज 191 की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

दोनों अपीलों के पक्षकार समान होने एवं दोनों अपीले समान प्रकृति की होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश कर कथन किया है कि ग्राम थनावद, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 52 की कुल किता 11 कुल रकबा 6.4587 हैक्टर आराजी वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 के शामलाती खाते में स्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी शामलाती खाते में रहने से आराजी मुतनाजा को हाकने जोतने तथा कर्ताराज अदा करने में विवाद होता है तथा आराजी का विकास करने में बाधा आती है इस कारण वादी अपने हिस्से की 1/4 भाग आराजी का विभाजन कराकर अपने पृथक खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वादी के 1/4 हिस्से की आराजी का विभाजन किया जाकर वादी के पृथक खाते दर्ज की जावे तथा वादी का बंटवारा शुदा आराजी पर आने जाने कृषि उपकरण ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का रास्ता अंकित किया जावे तथा वादी को 1/4 भाग आराजी पर नापकर कब्जा संभालाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2024 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि ग्राम थनावद की नई खतौनी संख्या 52 की कुल किता 11 कुल रकबा 6.4587 हैक्टर आराजी में वादी के हिस्से की 1/4 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार, अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। तहसीलदार अकलेरा के पत्रांक 885 दिनांक 24.07.2024 के द्वारा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अकलेरा द्वारा दिनांक 30.07.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2024 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.07.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 व 6, 7 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो सम्माननीय व्यक्तियों की मोजूदगी में इत्तला नहीं करवाई गयी है और न ही उक्त सम्मन पर अपीलांटगण को सम्मन जारी किये गये हैं, उसका समय अंकित है। अपीलांटगण के सम्मन पर गलत तौर पर नाबालिग लक्ष्मी के हस्ताक्षर जानबूझकर करवाये गये हैं जिनका कानून की निगाह में कोई महत्व नहीं है अतः प्रकरण रिमाण्ड फरमाई जावे। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार को पेपर पार्टीशन करते समय समस्त पक्षकारों को नोटिस देकर तलब करना चाहिए था एवं पक्षकारों की मौजूदगी में पेपर पार्टीशन रिपोर्ट तैयार करना चाहिए था जो कि उक्त प्रकरण में तैयार नहीं की गयी है और ना ही उनसे आपत्तियां मांगी गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.07.2024 को भी निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार संदर्भित वाद में अपीलांट प्रतिवादीगण की विधिवत तामील होना नहीं पाया गया। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में जो वादपत्र प्रस्तुत किया है उसमें प्रतिवादी कम 6 व 7 को नाबालिग होने के कारण जर्ये वलिया व संरक्षक माता पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिस सम्मन के अनुसार प्रतिवादी कम 1, 2, 3, 6 व 7 के सम्मन की तामील नाबालिग प्रतिवादी कम 7 पर की गई है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं मानी जा सकती। विधिवत सम्मन तामील के अभाव में प्रतिवादी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित रह गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तामील हेतु सी.पी.सी. के आदेश 5 में निहित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2024 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.07.2024 को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2025/5 (प्राथमिक डिक्री) एवं 2025/6 (फाइनल डिक्री) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2024 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.07.2024 खारिज की जाती हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार विवेचन के पश्चात पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा